कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद (म0प्र0)

//ज्ञापन//

क0 1169/दो–12–55/59 होशंगाबाद, दिनांक 22.08.19

प्रति,

श्री/श्रीमती/सुश्री...(सहायक ग्रेड–दो/सहायक ग्रेड–तीन)
न्यायालय/अनुभाग ....

विषयः– लेखा प्रशिक्षण सत्र नवम्बर 2019 के लिये अथवा आगामी सत्र में सहमति/असहमति।

––00––

विषयानुसार आपको सूचित किया जाता है कि इस स्थापना पर लेखांकन कार्य से संबंधित पद जैसे लेखापाल/सहायक लेखापाल, जिला नाजिर, सीनियर नायब नाजिर, जूनियर नायब नाजिर, प्रधान प्रतिलिपिकार के पदों के लिये लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण सहायक ग्रेड–दो/सहायक ग्रेड–तीन प्रवर्ग के शासकीय सेवकों का अभाव है, इसलिये आगामी लेखा प्रशिक्षण सत्र में नवम्बर 2019 के लिये आदेशानुसार वरिष्ठता कम में (ऐसे कर्मचारी जिन्हें नवम्बर 2019 से जनवरी 2020 के लेखाप्रशिक्षण सत्र की संभावित वार्षिक परीक्षा दिसम्बर 2020 में सम्मिलित होने के लिये 45 वर्ष की आयु से कम हों) लिखित सहमति/असहमति अपेक्षित है, ताकि वरिष्ठता कम में शासकीय सेवकों को लेखाप्रशिक्षण हेतु माननीय उच्च न्यायालय के अनुमोदन से भेजा जा सके।

अतः आपको आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि इस ज्ञापन के प्राप्त होते ही निम्नांकित प्रारूप में लिखित सहमति/असहमति लौटती डॉक से इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।

22/08/19

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद म.प्र.

....

प्रति,

श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,
होशंगाबाद मध्य प्रदेश

विषयः– आगामी लेखा प्रशिक्षण सत्र नवम्बर 2019 के लिये सहमति/असहमति।
संदर्भः– कार्यालय का ज्ञापन कमांक 1169/दो–12–55/59 होशंगाबाद, दिनांक 22.08.19

––00––

माननीय महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में आदेशानुसार निवेदन है कि मुझे आगामी लेखाप्रशिक्षण सत्र नवम्बर 2019 से जनवरी 2020 में लेखाप्रशिक्षण शाला भोपाल जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु लिखित सहमति/असहमति चाही गयी है।

अतः निवेदन है कि मैं अपनी पदीय आवश्यकता अनुसार वरीयता कम में नवम्बर 2019 अथवा उससे आगामी सत्र में लेखाप्रशिक्षण हेतु जाकर प्राप्त करने के लिये ....(सहमत/असहमत) हूँ।

हस्ताक्षर ....
नाम ....

स्थान :–......................................
दिनांक :–..................................

पद का नाम..
धारित पद ....